

कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

www.jaipur.nic.in

क्रमांक/सहायता/बाढ/मरम्मत/2020/3373

दिनांक : 17-12-2020

प्रशासनिक स्वीकृति

संयुक्त शासन सचिव, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर के स्वीकृति आदेश क्रमांक प. 8(3)आ.प्र. एवं सहा./प्रस्ताव/बाढ/20/14936-43 दिनांक 27.11.20 द्वारा मानसून, 2020 के दौरान भारी वर्षा से जयपुर जिले के उपखण्ड शाहपुरा, आमेर, जयपुर तथा जमवारामगढ में क्षतिग्रस्त सडकों की मरम्मत हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. जिला खण्ड- शाहपुरा, अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. जिला खण्ड- दूदू तथा अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. जिला खण्ड, बस्सी से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार सडकें, जिनकी प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है, के अनुसरण में जयपुर जिले की तहसील आमेर, शाहपुरा, जयपुर तथा जमवारामगढ क्षेत्र की उपखण्ड स्तरीय कमेटी की अभिशाषा सहित प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार मरम्मत कार्य करवाये जाने हैं। उक्त आदेशों की अनुपालना में नीचे अंकित कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। विवरण इस प्रकार है :-

कार्यकारी अभिकरण : अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. जिला खण्ड-शाहपुरा, जयपुर

उपखण्ड - आमेर

क्र.सं.	सडक मरम्मत कार्य का नाम	क्षतिग्रस्त हिस्से की लोकेशन (किमी. से किमी तक)	राशि (लाखों में)
1	Jhotwara (SH-2C Km 0/0 Jhotwara-Kalwar-Pachkodiya-sikar Road to Karansar upto MDR-81 (Tonk Distt. Boarder to Rasili-Mozmabad bagru Lalpura Hingoniya Bagawas Luniyawas Road Km. 2/0 to 111/0) Via Khora Bisal Nangal Ladi Punana Bhainsawa	16.00 to 23.00	7.00
2	Jhotwara (SH-2C Km 0/0 Jhotwara-Kalwar-Pachkodiya-sikar Road to Karansar upto MDR-81 (Tonk Distt. Boarder to Rasili-Mozmabad bagru Lalpura Hingoniya Bagawas Luniyawas Road Km. 2/0 to 111/0) Via Khora Bisal Nangal Ladi Punana Bhainsawa	23.00 to 30.00	7.00
3	Mundota to Sherawatpura	0 to 4.6	2.76
4	A/R to Mundota	0 to 3	1.80
5	NH-11 Jalsoo road to Yadav Khera	0 to 4.3	2.58
6	Jaitpura road to Chak Rozda	0 to 3.65	2.19
7	Hardattpura to Dalpura	0 to 1.8	1.08
8	Jalsoo Road to Sudarshanpura	0 to 3.25	1.95
9	Jalsoo road to Lalgarrh	0 to 1.6	0.96
10	Raithal Road to Vijaypura Km. 0/0 to 3/0	0 to 3	1.80
11	Rampura Raithal road to Mohanpura	0 to 2.1	1.26
12	Tadawas to Pratappura Km. 0/0 to 1/500	0 to 1.9	1.14
13	Biharipura Anoop Pura road to Khatiyon ka Bas Km. 0/0 to 2/0	0 to 2	1.20
14	Rampura Raithal Road to Pratap Pura Khurd Km. 0/0 to 1/0	0 to 1	0.60
15	Jaitpura road to Harchandpura Km. 0/0 to 1/200	0 to 1.2	0.72
16	Rampura Raithal Road to Ballupura Km. 0/0 to 1/075	0 to 1.075	0.65
17	Jahota to Mukandpura Km. 0/0 to 2/0	0 to 2.1	1.26
18	Jalsu Kannipura Road to Lalpura Km. 0/0 to 1/0	0 to 1	0.60
19	Biharipura Anoopura road to Patti Sitarampura Km. 0/0 to 1/700	0 to 1.7	1.02
20	SH-19 (Neendhar Kaladera Road) to Dwarikapura Km. 0/0 to 1/400	0 to 1.4	0.84
21	Punana to Vijaypura Km. 0/0 to 1/700 (VR)	0 to 1.7	1.02
22	Yadav Kheda to Maheshwas Hanibwalon Ki Dhani Km 0/0 to 1/400 (VR)	0 to 1.4	0.84
23	Jahota - Jadwalon ki Dhani Sirsali	0 to 4.28	2.57
24	Jairampura Mohanbari road - Gadaliyon Ki Dhani	0 to 2.5	1.50
25	Raithal - Pacheriyon Ki Dhani	0 to 2.512	1.51
26	Punana - Dhani Meeno Ki	0 to 2.99	1.79
27	Maheshwas Khurd Sand Baba - Dhani Rabara ki	0 to 2.16	1.30
28	Mundota Sherawatpura - Jakhron ki Dhani	0 to 1.6	0.96
29	Jiloi road - Nangaram Bunker ki Dhani	0 to 2.3	1.38

0141-2209001(O) 0141-2209000(Fax) Email:- dm-jaip-rj@nic.in

Page 1

Road repair work list 2020

कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

www.jaipur.nic.in

30	Mohan Bari road to Dhani Thakarda ki	0 to 2.3	1.38
31	Chatarpura to Harchandpura Rampal Mali Ki Dhani	0 to 2.1	1.26
32	Khapriya Goan to Kalyanpura Anoppura Raod	0 to 1.3	0.78
33	Dogiwali Ki Dhani to Ramola Ki Dhani Via Khatodiya	0 to 1.5	0.90
34	Anoppura Gram to Kaladera Road Khatiyon Ke Bas Border	0 to 2	1.20
35	Dadar Road to Sudarshnpura Road Village Sudarshanpura	0 to 1.75	1.05
36	Vilage Nada to Bawariyo Ki Dhani	0 to 1	0.60
37	Beelpura to Kumharo Ki Dhani	0 to 1	0.60
38	Maheshwas Kalwad Road to Bodiyo Ki Dhani Via Degadwas School	0 to 2	1.20
39	Bugaliya Stand to Towards Gudhaman	0 to 1.5	0.90
40	Sorawatan Road Jhakado Ki Dhani to Kabari Doongri	0 to 1.3	0.78
41	Purohito Ki Dhani to Naradpura	0 to 1	0.60
42	Durga Ka Bas to Mundiya	0 to 1.3	0.78
43	Sirsali Stand to Pragpura	0 to 4.68	2.81
44	Nagal Ladi to mundota	0 to 3.2	1.92
45	Sirsi School to Sirsi Dairy	0 to 1.45	0.87
46	Jahota Chomu Road to Chamanpura	0 to 1	0.60
47	Rampura Jahota road to Dev Gudha	0 to 1	0.60
48	Modi to Radha Kishanpura	0 to 1.2	0.72
49	Rojda to Jaitpura	0 to 1	0.60
50	Anoppura to Amber Block Border	0 to 1.6	0.96
51	Sahibrampura to Kaladera Road	0 to 1.8	1.08
52	Chak Rojda Road to Pradham Farm Sirsi	0 to 1.5	0.90
53	Chatarpura to Achojai	0 to 2.55	1.53
54	Sudarshanpura Teen Dukan	0 to 2.5	1.50
55	Bhoodhthal to Risani	0 to 1.45	0.87
56	Achrol Town Road	0 to 2	3.73
57	Tala Mod to Kanwarpura via Shayampura	0 to 11.6	6.96
58	Khora Meena to Kankrel	0 to 1.525	0.92
59	SH-52 to Rampura @ Baniyawala	0 to 1.45	0.87
60	Khora Shyamdas to Degrawas	0 to 3.5	2.10
61	Dev Ka Harmara to Chak Manoharpur Km. 0/0 to 1/0 (VR)	0 to 1	0.60
62	Arnia road - Dhani Chhandolai ki	0 to 2.55	1.53
63	Achrol - Patelon Ki Dhani	0 to 1.25	0.75
64	Nagal Chonp to Dhani Dhola ki	0 to 2.5	1.50
65	Khora Shyamdas (Chirara) to Dhani Golkha Jat Ki	0 to 1.8	1.08
66	Bilochi to Dhani Mansahala Ki	0 to 2.3	1.38
67	Bilochi Petrol Pump Road to Samarpura Via Mansa Ki Dhani	0 to 1.3	0.78
68	Singwana to Pinkcity Kesar Via Banjiro Ki Dhani, Rakada Ki Dhani, Manatwalo	0 to 2	1.20
69	Chapradi to Dhani Sitapura	0 to 1.5	0.90
70	Kant to Pooth Ka Bas	0 to 4	2.40
71	Kanwarpur to NH-11 via Dhani Bhatali	0 to 2.5	1.50
72	Shyampura to Bhuranpura	0 to 2	1.20
73	Dhola Ka bas (Chonp) to Isharwala	0 to 1.4	0.84
74	Rajaramprua Road to Meeno Ki Dhani	0 to 1	0.60
75	A/R Chomu Chandwaji Road to Sirohi	0 to 3	1.80
76	Daulatpura Bheempura Bagwara	0 to 2	1.20
77	Jaitpura Khichi - Dhani Sitapura	0 to 2.275	1.37
	योग		113.48

कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

www.jaipur.nic.in

उपरोक्त मरम्मत कार्य निम्न शर्तों के अधीन शर्तों के अधीन करवाये जावेंगे।

1. उपरोक्त मरम्मत कार्य आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान के स्वीकृति क्रमांक 14936-43 दिनांक 27.11.2020, दिशा-निर्देश क्रमांक 12384-85 दि. 24.09.2020 में अंकित शर्तों एवं राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के निर्धारित मानदण्डों के अनुसार तथा इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशानुसार करवाये जावेंगे।
2. ये सभी कार्य प्रारम्भ किए जाने की तिथि से 30 दिवस की निर्धारित अवधि में ही पूर्ण कराने होंगे। निर्धारित अवधि तक कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग राजस्थान द्वारा जारी कोष से मरम्मत कराये जाने संभव नहीं होंगे, कार्यकारी विभाग द्वारा विभागीय बजट से पूर्ण कराये जावेंगे।
3. वे सडकें जो Defect Liability Period के तहत आती हैं अथवा वे सडकें जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं तथा पेचवर्क से ठीक करने लायक नहीं हैं, उनकी मरम्मत राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) मद से देय नहीं होगी।
4. कार्यकारी अभिकरण उक्त कार्यों के तकमीना तथा तकमीना स्वीकृति के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र भी जारी कर भिजवाना सुनिश्चित करेंगे कि उनके पास राज्य बजट मद अनुरक्षण एवं सामग्री मद में वित्तीय वर्ष 2020-21 में राशि उपलब्ध नहीं है तथा उक्त मद में राशि उपलब्ध होने पर राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) मद से राशि का आवंटन नहीं किया जा सकेगा। वित्तीय वर्ष के अन्त में राशि अवशेष रहने पर राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) मद को अवशेष राशि पुनर्भरण कर दी जावेगी।
5. स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा-निर्देश, तत्सम्बन्धी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।
6. कार्यकारी विभाग बिना वित्तीय स्वीकृति प्राप्त किए बिना कार्यारम्भ नहीं करेंगे, अगर कार्यारम्भ किया जाता है, तो कार्यकारी विभाग के बजट मद से मरम्मत राशि वहन की जावेगी। समयावधि में उपयोग न हो सकने वाली राशि बिना किसी विलम्ब से समर्पित की जावे।
7. उपरोक्त मरम्मत कार्यों के तकमीना/ तकनीकी स्वीकृति कार्यकारी विभाग द्वारा जारी किये जाने के उपरान्त ही इस कार्यालय द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी की जावेगी।
8. उपरोक्त मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जावे। इस हेतु संबंधित उपखण्ड अधिकारी/ तहसीलदार/विकास अधिकारी/सहायक अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता की सुनिश्चितता बनाए रखने हेतु समय-समय पर निरीक्षण करें तथा उपखण्ड स्तरीय समिति निर्धारित अवधि में कार्यपूर्णता का प्रमाण पत्र प्रेषित करेंगी।
9. अंकित कार्यों पर व्यय का अंकेक्षण होने पर अंकेक्षण कराने, आक्षेप अनुपालना पूर्ण कराने की जिम्मेदारी कार्यकारी अभिकरण की होगी।
10. कार्यकारी अभिकरण-पूर्व के बकाया आक्षेपों की पूर्ति उपरोक्त स्वीकृत कार्यों के भुगतान से करवाना सुनिश्चित करें।
11. उक्त प्रशासनिक स्वीकृति में स्वीकृत कार्यों में से यदि मरम्मत कार्य विभागीय बजट मद से पूर्ण करवा लिये गये हैं, तो उन कार्यों की तकनीकी स्वीकृति जारी नहीं की जावे।

जिला कलेक्टर,

जयपुर

दिनांक : 17/12/2020

क्रमांक/सम/ 3374-80

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर
3. अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. जिला खण्ड- शाहपुरा जयपुर
4. उपखण्ड अधिकारी आमेर
5. तहसीलदार, आमेर
6. विकास अधिकारी, पं.स., जालसू/आमेर
7. गार्ड पत्रावली ।

जिला कलेक्टर,

जयपुर